

5/18

पगारवाही राजस्व लोन कडालत न्याय कोष के अ  
 कोष विलेगी यह कोष उक्त उक्त तदनुसार  
 कोषावली के किताबत इत्यादि प्राप्त नहीं उक्त पत्रवाही  
 द्वारा उक्त कोषी रिपोर्ट के वगैरे कि गमावनी  
 सन् 2073-76 की प्रमाण सं- 98 क्रिया 10 राजस्व  
 53-02 की धारा के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा पत्र उक्त  
 सेवा के अंतर्गत कोषावली का मुकाबला सन् 1981  
 के पूर्व आरंभ होने पर प्राप्त कर लिया गया है।  
 मुजलाह कर दिया गया है किताबत नम्बर के 848  
 दिनांक 17-5-78 से आरंभ के 98 क्रिया 10 राजस्व 53-02  
 की धारा अंतर्गत स्थानांतरण गलत हिसाबत किताबत  
 आलाखाना पत्र उक्त अधिसूचना के अंतर्गत ही  
 लुकाई अंतर्गत यह किताबत किताबत है कि पत्रवाही  
 द्वारा किताबत अंतर्गत का मुकाबला प्राप्त न किया  
 है अतः उक्त कोष के किसी प्रकार की कोष कोषावली  
 किया जाना आवश्यक नहीं है उक्त कोष अभी तक  
 कोष किया गया है पगारवाही कोष अंतर्गत अंतर्गत  
 का नाम/अंश उक्त कोष के अंतर्गत अंतर्गत है।

